ACM आमेर उ. पूर्व

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम लाडूराम

नाम न्यायालय TL

केस संख्या 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/12/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय "बन्दोबस्त कार्य में व्यस्त" है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 23/12/25 को पेश हो।	
	23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उपस्थित। अन्य पक्ष आ.ता. पेशी पर आवश्यकता से बहस करे। वास्ते बहस दिनांक 29/12/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। अन्यपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं. 13, 14 व 15 की ओर से दस्तावेज सूची पेश की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05/01/2026 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	05/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। कार्याधिक्य के कारण निर्णय प्रसारित नहीं किया जा सका है पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 20/01/2026 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	20/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों, कानूनी नजीरों के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण ... एवं 6 लापता को मुख्यालय के निवासी तक ... जरिये इश्तहार ... किया जाता है कि वे वांछित रूप से उपस्थित हों। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम जगदीश

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि
		के ख०न० - 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख०न० 21 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर खाता संख्या नयी 136 पुरानी 129 के ख०न० 22 रकबा 4.50 है०, ख०न० 106 रकबा 2.07 है०, ख०न० 26/577 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख०न० 28/578 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 23/533 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर खाता संख्या नया 40 पुराना 39 ख०न० 24 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 41 पुरानी 40 के ख०नम्बर 23 रकबा 2.90 हैक्टेयर, ख०न 25/545 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.15 हैक्टेयर में मौके की यथास्थिति [illegible] का बेचान नहीं करें। पक्षकार [illegible] होना दाखिल पत्रावली हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या — 40 / 2024
बउनवानी — बाबूलाल बनाम जगदीश प्रसाद वगै0
निर्णय दिनांक — 20.01.2026

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या— 40 / 2024 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 24.06.2024

बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान

— प्रार्थी—

— बनाम—

1 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सेडू जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
2. राजू देवी पत्नी श्री सीताराम शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी माधोका की ढाणी, चौप तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान
3 प्रेम देवी पत्नी श्री बंशीधर शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी माधोका की ढाणी, चौप तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान
4 मंजू देवी पत्नी श्री सीताराम शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी बागडों की ढाणी, ग्राम किशोरपुरा, काकरोदा, मूण्डिया रामसर, जयपुर राजस्थान
5 ओमप्रकाश श्री जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
6 मंजू देवी शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्रवधु श्री जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
7 ममता शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
8 सीताराम पुत्रान गंगासहाय
9 रूपनारायण
10 रामनिवास
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर
11 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्याण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
12 बंशीधर पुत्रान सेडू
13 गणपत लाल
14 लालचन्द
18 मदनलाल
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान
17 उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान

— अप्रार्थीगण—

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

(1) श्री एस. जे. गिरी — अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री पंकज कुमार शर्मा — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 ता 11 की ओर से
(3) श्री मुकेश शर्मा — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 5 व 6 की ओर से

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय दिनांक 20.01.2026

कि वाके ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमि खाता संख्या 87 के साबित खसरा नम्बर 16 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 287 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 336 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 07 कुल रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी सम्वत 2020—2023 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के दादा सेडू की थी। अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के पिता का प्रत्येक का 1 / 5—1 / 5 भूमि रही है। प्रार्थी के दादा सेडू पुत्र श्री रामबक्स की खातेदारी भूमि खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 13 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर—15 रकबा 07 बिस्वा कुल किता. 02 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसमें प्रार्थी के दादा, परदादा काश्त करते थे। इस प्रकार पैतृक भूमि रही। प्रार्थी के दादा सेडू पुत्र रामबक्स के नाम रही है। सेडू पुत्र रामबक्स की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के नाम खातेदारी 1 / 5—1 / 5 बराबर दर्ज हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 12 लगायत 15 एक हिन्दू धर्म के अनुयायी है तथा हिन्दू विधि द्वारा शासित है। विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 12 लगायत 15 अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी के दादा परदादा कृषि करते आ रहे थे एवं प्रार्थी के दादा सेडू के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के नाम जरिये विरासत सेडू की विरासत का नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 03 / 01 / 2002 के द्वारा दर्ज कराया गया है। इस प्रकार विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 05 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित है। ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील जालसू जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 खतौनी संख्या नयी 135 पुरानी 128 के खसरा नम्बर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.9 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर खाता संख्या नयी 136 पुरानी 129 के खसरा नम्बर 22 रकबा 4.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 2.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 / 577 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 / 578 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 / 533 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर खाता संख्या नया 40 पुरानी 39 खसरा नम्बर ... रकबा 1.86 हैक्टेयर खाता संख्या नया 41 पुरानी 40 के खसरा नम्बर 23 रकबा 2.90 हैक्टेयर, खसरा नमबर 25 / 545 रकबा 0.25 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा ... खातेदार प्रार्थी के दादा सेडू पुत्र रामबक्स थे। उनके स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 03 / 01 / 2002 जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 05 का 1 / 5 हिस्सा हुआ। जबकि अप्रार्थी संख्या 1

सहायक कलक्टर
सांभर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

के अकेले नाम नामान्तकरण खुला जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 05 का विवादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार था, अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का सम्पूर्ण खाते में दर हिस्सा 1/30 है तथा उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 विवादग्रस्त भूमि पर मनबट के आधार पर अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त जायदाद में से निम्न लोगो को विक्रय किया अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11/10/2007 को खसरा नम्बर 25/545 रकबा 0.25 हैक्टेयर का सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 23 रकबा 2.90 हैक्टेयर में से हिस्सा 6/17. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 को विक्रय किया गया तथा दिनांक 02/03/2022 को जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 23/1 रकबा 2.76 हैक्टेयर में से 6/276 भाग अर्थात 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर—106 रकबा 0.70 सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 22 में हिस्सा 1/5 भाग में से हिस्सा 156/4500 भाग अर्थात 0.1560 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान कर दिया। इन दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से जो जमीन बेची गयी है उसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 तक कानूनन नल एण्ड वोईड है और प्रार्थी के हिस्से तक की विक्रय पत्र प्रार्थी के खिलाफ कतई शून्य, बेअसर व प्रभावहीन है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ गांठ करके अप्रार्थी संख्या 5 ओमप्रकाश की पत्नी अप्रार्थी संख्या 6 मंजू देवी पत्नी ओमप्रकाश को दिनांक 11/02/2022 को जरिये उपहार पत्र खसरा नम्बर 23/1 रकबा 2.76 हैक्टेयर है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा 8/51 भाग में से 0.25 हैक्टेयर भूमि अर्थात कुल भूमि का हिस्सा 25/276 भाग जरिये उपहार पत्र इसी प्रकार दिनांक दिनांक 17/11/2022 को जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 22. 24 कुल रकबा 6.36 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 22 रकबा 4.50 हैक्टेयर निहित हिस्से में हिस्सा 2/45 भाग अर्थात 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.86 हैक्टेयर में अपने निहित हिस्से में से हिस्सा 20/186 अर्थात 0.20 हैक्टेयर भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 6 को जमीन बेची गयी है उसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 तक कानूनन नल एण्ड वोईड है और प्रार्थी के हिस्से तक की रजिस्ट्री प्रार्थी के खिलाफ कतई शून्य, बेअसर व प्रभावहीन है। दिनांक 14/05/2024 को शाम 3.15 बजे लभग अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 15 को लेकर आया तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि की नाप जोख करने लगा तथा साथ में आये लोग जमीन बेचान करने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। प्रार्थी मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 के पाय गया तथा जमीन की नाप जोख के बारे में पूछताछ की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि उसने जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 को कर दी है अब मैं विवादग्रस्त भूमि का कब्जा कराउंगा। अप्रार्थी संख्या 6 ने कहा कि पुलिस से सांठ गांठ कर जबरन कब्जा कर दीगर लोगों को बेच दूंगा। प्रार्थी द्वारा रिकोर्ड की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 ने मिली भगत कर विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण खुलवा कर आपसी सहमति से तकासमा करा लिया है। विवादग्रस्त भूमि वप्रित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भूमि पैतृक कृषि भूमि होने का तथ्य छिपाते हुए, विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार है। जिसे प्रार्थी की सहमति के बिना अन्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का विधिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के हक व हिस्से की कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 15ध06ध2024 को समय दोपहर 2.00 बजे लगभग पुनः प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर जबरन प्रार्थी को बेकब्जा कर अपना कब्जा करने के लिए आया, परन्तु अपने अवैध कृत्यों में सफल नहीं हंआ तथा प्रार्थी को जबरन बेकब्जा कर दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी दी। तथाकथित विक्रय पत्र निष्पादित हुए है वह प्रार्थी के हक व अधिकार के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। विक्रय पत्र से अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 को प्रार्थी की हक व हिस्से की कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 को विवादग्रस्त कषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से तक ही संव्यवहार करने के लिए विधि द्वारा सशक्त था। परन्तु प्रार्थी के हिस्से को अन्तरित करने के लिये ना तो प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत था न ही विधिक रूप से अन्तरण करने के लिए योग्य था। निष्पादित विक्रय पत्र प्रार्थी के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता तथा प्रार्थी के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब मदवार प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी व मिन उत्तरदातागण का उक्त भूमि में जन्म से हक व अधिकार निहित हैं प्रार्थी व मिन उत्तरदाता अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार लिखा गया स्वीकार हैं। मिन उत्तरदाता के पिता द्वारा जो विक्रय किया गया है वह मिन उत्तरदाता के हक व अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 जिस प्रकार लिखा गया मिन उत्तरदाता से संबंधित नही होने से प्रार्थी स्वयं साबित करें। परन्त यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का नम्बर 11 जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार हैं। मिन उत्तरदाता भी वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाकर अपने हक व हिस्से में आई भूमि का विधिक विभाजन करवाने की कानूनन

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी हैं प्रार्थना पत्र का नम्बर 12 जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार हैं। मिन उत्तरदातागण को भी उसके हक व हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें गिन उत्तरदातागण के हक व हिस्से की भूमि का भी विभाजन किया जाकर अलग से लगान व खाता कायम करवाने की मिन उत्तरदातागण अधिकारिणी हैं। प्रार्थी मिन उत्तरदाता को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकारी नही हैं। यदि मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति प्राथी को न होकर मिन उत्तरदाता को होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी उत्तरदाता के पक्ष में हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मिन उत्तरदातागण की हद तक खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 13, 14 व 15 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 ता 5 में जिस कृषि भूमि के खसरा नंबरों का उल्लेख कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, राजस्व रिकार्ड में प्रार्थना पत्र के उक्त मदों में वर्णित खसरा नंबर की भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 ता 5 में जिन खसरों की भूमि का उल्लेख प्रार्थी ने किया है उस भूमि का विभाजन उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदारों के मध्य दिनांक 28.04.2023 को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के अनुरूप विभाजन होकर अलग अलग खातेदार का अलग अलग खाता कायम किया जाकर अलग अलग हिस्से के अनुरूप विभाजन होकर नवीन खसरा नंबर अंकित कर दिये गये है तथा उक्त बाई मिटस एण्ड बाउण्डस दिनांक 28.04. 2023 को हुये उक्त खातेदारों के मध्य विभाजन के अनुरूप प्रार्थीगण के पिता जगदीश पुत्र सेदू के हिस्से में खसरा नंबर 23/1/5 रकबा 0. 2300 हैक्टेयर हिस्सा 675/23, खसरा नंबर 24/5 रकबा 0. 4000 हैक्टेयर हिस्सा 692/24, खसरा नंबर 24/3 रकबा 0. 2497 हैक्टेयर, हिस्सा 690/24 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 8791 हैक्टेयर एवं जगदीश पुत्र सेदू का हिस्सा 282/1950 खसरा नंबर 23/1/7 रकबा 0.0282 हैक्टेयर हिस्सा 677/23 निहित है। जिससे उक्त भूमि जो प्रार्थी के पिता के हिस्से में आयी है, प्रार्थी अपने पिता के हिस्से की भूमि के संबंध में घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का अधिकारी है। लेकिन हम अप्रार्थीगण 13 से 15 के हिस्से में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन दिनांक 28.04.2023 को आयी भूमि के संबंध में प्रार्थी को उक्त घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचन के अनुरूप प्रार्थी के पिता जगदीश के द्वारा विकय पत्र दिनांक 11. 10.2007 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 सीताराम, रूपनारायण, रामनिवास, जगदीश प्रसाद पुत्र कल्लू तथा मंजू देवी अप्रार्थी संख्या 6 को उपहार पत्र द्वारा हस्तांतरित करने का उल्लेख किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जगदीश प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से उक्त विक्रय पत्र एवं उपहार पत्र के द्वारा दिनांक 28.04.2023 को बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने से पूर्व ही वर्ष 2007 में अपने हिस्से की भूमि का उपरोक्त व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया था, जिससे इस मद में वर्णित सभी व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 1 के समान प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 ता 5 में वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो जाने के कारण दिनांक 28.04.2023 को हुये विभाजन के अनुरूप खातेदार काश्तकार होने से उनके पक्ष में भी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन हो चूका है। जिससे कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि एक बार खातेदार काश्तकारों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन हो जाता है, तो पूनः ऐसा विभाजन कानूनन नहीं हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 के बीच दिनांक 28.04.2023 को ही विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस हो चुका है, जिससे उक्त भूमि का विभाजन होकर अलग अलग खातेदार कृषकों के हिस्से में जो विभाजन के अनुरूप भूमि आयी है उस भूमि के खातेदारों का विभाजन के अनुरूप आयी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है तथा उसी हिस्से के अनुरूप काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सेदू राम के स्वर्गवास होने पर सेदू राम के पॉच पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 एवं 12 से 15 के पक्ष में वर्ष 2002 में ही नामातंरण संख्या 69 दिनांक 03.01.2022 को खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 12 से 15 का नाम अंकित हो गया है। उक्त नामांतरण को प्रार्थी ने आज तक भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है तथा 23 वर्ष तक उक्त नामांतरण को सही होना स्वीकार कर चुप रहा है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 ता 5 में वर्णित भूमि सेदूराम द्वारा छोडी गयी भूमि है तथा सेदू राम प्रार्थी का पितामह है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 ता 5 में वर्णित भूमि में अपने पिता जगदीश के समान हित व अधिकार निहित है तथा 25 वर्ष पश्चात हम अप्रार्थी संख्या 13 से 15 को व्यर्थ में हैरान व परेशान करने की बदनियति से प्रार्थी ने अपने जायन्दा पिता जगदीश अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते हुये ही अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 से नाजायज सांठगांठ व कॉल्यूजन कर सम्पति विभाजन का वाद तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों के अनुरूप प्रार्थी का वाद घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के जीवनकाल में ही उसके जीवित रहते हुये सम्पति विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि पिता के जीवित रहते हुये पुत्र को अपने पिता के विरूद्ध सम्पति विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रार्थी ने अपने पिता जगदीश के जीवित रहते हुये ही सम्पति विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है, जिसे प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। सेदू का स्वर्गवास वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2002 में होने पर सेडू के पाँच पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश व अप्रार्थी संख्या 12 से 15 के बराबर बराबर हिस्से के अनुरूप 1/5–1/5 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया है . इन तथ्यों को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया है। लेकिन उक्त राजस्व रिकार्ड को 23 वर्ष तक प्रार्थी ने सही होना स्वीकार कर चुप रहा है तथा 23 वर्ष पश्चात एवं 28.04.2023 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पक्षकारों के मध्य विभाजन हो जाने के पश्चात उस विभाजन को भी सही होना स्वीकार कर चुप रहा है जिससे प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र अवधि बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य

अप्रार्थी संख्या 7 के जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 13 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा होना अंकन कर प्रार्थी के दादा, परदादा, काश्त करना अंकित किया है। जो गलत है। अस्वीकार है बल्कि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत 2020–23 में खाता संख्या 88 में सेडू पुत्र श्री रामबक्स बागडा ब्राह्मण सा. देह मु. 1 साल खातेदार के रूप में अंकन है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 व 5 जिस प्रकार से वर्णित किये गये आंशिक एवं अधुरे अंकित किये है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है। जहाँ तक उक्त मदो में अंकित सेडू के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थी संख्या व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 03–01–2002 का प्रश्न है तो प्रार्थी ने जानबुझकर श्री सेडू के सभी वारिसान को तथ्य छिपाते हुये झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। बल्कि मिन उत्तरदाता की जानकारी अनुसार श्री सेडू के 9 वारिसान में पत्नी प्रभाती, तीन पुत्रीया क्रमश बिरदी देवी, शान्ति देवी, लक्ष्मी देवी तथा पांच पुत्र क्रमश जगदीश, गणपत, बंशीधर, लालचन्द, मदनलाल है। तथा श्री सेडू की मृत्यू के उपरान्त प्रत्येक वारिसान को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ था परन्तु श्री सेडू की पुत्रीयो क्रमशः बिरदी देवी, शान्ति देवी, लक्ष्मी देवी ने अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के हक में त्याग पत्र दिनांक 02–12–2002 को निष्पादित किया गया उक्त हक त्याग का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध क्रमांक 3416 पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द सख्या 229 के पृष्ठ संख्या 16 पर पंजीबद्ध किया गया है। तत्पश्चात् उक्त पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 69 के माध्यम से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 को प्राप्त हुई है। जो निम्न हैः– ग्राम राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 135 में स्थित खसरा नम्बर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 21 रकबा 0.09 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 134 में स्थित खसरा नम्बर 43 रकबा 0.02 (में से 1/4 हिस्सा सेडू) एवं खाता संख्या 1 में स्थित खसरा नम्बर 22 रकबा 4.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 2.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/577 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/572 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/593 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर (में से 18 बीघा 2 बिस्वा) मे सेडू के नाम अर्थात 362/560 हिस्सा बतौर हक त्याग से प्राप्त हुआ है। तथा खाता संख्या 136 रकबा 7.20 हैक्टेयर शेष हिस्सा अर्थात 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 ने

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

जरिये विक्रय पत्र खरीद भूमि है। जिसका सेडू की विरासत से कोई सम्बंध नही है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यो के अनुसार प्रार्थना पत्र की मद सख्या संख्या 4 में वर्णित सम्पत्ति कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 ने जरिये हक त्याग पत्र एवं जरिये विक्रय पत्र से प्राप्त सम्पत्ति है। जो कि स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र तथ्य छिपाते हुये सेडू के सभी वारिसान को पक्षकार ना बनाते हुये प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर की जमाबंदी सम्बत 2020–2023 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 336 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा कल किता 7 कल रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा सेडू के नाम होना अंकित कर पैतृक भमि होना अंकित किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सेडू को किस प्रकार प्राप्त हुई तथा श्री सेडू का कितना हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहा एवं कितनी भूमि पर श्री सेड काबिज काश्त रहा आदि सम्पूर्ण तथ्यो को छिपाते हये अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 12 ता 15 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अनुसार उक्त प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि कतई गलत है अस्वीकार है। बल्कि जमाबंदी सम्वत 2020–23 के अनसार सेडू पुत्र रामबक्स का 1/3 हिस्सा दर्ज रहा है। 3 यह कि प्रार्थना पत्र का मद जिस प्रकार से वर्णित है किया है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त मद में अंकित खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 13 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 15 रकबा 07 बिस्वा कल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा होना अंकन कर प्रार्थी के दादा, परदादा, काश्त करना अंकित किया है। जो गलत है। अस्वीकार है बल्कि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत 2020–23 में खाता संख्या 88 में सेडू पुत्र श्री रामबक्स बागडा ब्राह्मण सा देह मु. 1 साल खातेदार के रूप में अंकन हैं। सेडू के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 के नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 03–01–2002 का है तो प्रार्थी ने जानबडाकर श्री सेड के सभी वारिसान को तथ्य छिपाते हुये झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया है। बल्कि मिन उत्तरदाता की जानकारी अनुसार श्री सेडू के 9 वारिसान में पत्नी प्रभाती, तीन पुत्रीया क्रमश बिरदी देवी. शान्ति देवी, लक्ष्मी देवी तथा पांच पुत्र क्रमश जगदीश, गणपत, बंशीधर, लालचन्द, मदनलाल है। तथा श्री सेडू की मृत्यु के उपरान्त सभी वारिसान को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ परन्तु श्री सेडू की पुत्रीयो क्रमश बिरदी देवी, शान्ति देवी, लक्ष्मी देवी ने अप्रार्थी लगायत 15 के हक में त्याग संख्या एवं अप्रार्थी संख्या दिनांक ...–12–2002 को निष्पादित किया गया उक्त हक त्याग का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय में पजाबद्ध क्रमांक 3416 पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 229 के पृष्ठ संख्या 16 पर पंजीबद्ध किया गया है। तत्पश्चात उक्त पंजीकत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 80 के माध्यम से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 को प्राप्त हुई हैं। जो निम्न है. रकबा राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 135 में स्थित खसरा नम्बर 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 21 रकबा 0.09 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 134 में स्थित खसरा नम्बर 43 रकबा 0.02 (में से 1/4 हिस्सा सेडू) एवं 22 रकबा 4.50 हैक्टेयर, खसरा खाता संख्या 136 में स्थित खसरा नम्बर नम्बर 106 रकबा 2.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/577 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/572 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/593 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर में से 18 बीघा 2 बिस्वा) में सेडू के नाम अर्थात 362/560 हिस्सा बतौर हक त्याग से प्राप्त हुआ है। तथा खाता संख्या 136 रकबा 7.20 हैक्टेयर शेष हिस्सा अर्थात अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 ने जरिये विक्रय पत्र खरीद भूमि बीघा 18 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं है । जिसका सेडू की विरासत से कोई सम्बंध नही है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यो के अनुसार प्रार्थना से मद संख्या संख्या 4 में वर्णित सम्पत्ति कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 ने जरिये हक त्याग पत्र एवं जरिये विक्रय पत्र से प्राप्त सम्पत्ति है। जो कि स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में है। जिसके विरुद्ध प्रार्थी कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही है।

वादी के बाद पत्र का जवाब मिन प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 की ओर से उक्त प्रकरण में विवादित सम्पत्तियो पर वादी का कोई स्वामित्व नही है तथा उन पर वादी का कोई कब्जा नही है। उक्त भूमियो मे से भूमि खसरा नम्बर 106, 28/578 व 26/577 एवं 22 जिसके गत खसरा नम्बर 21 है. पूर्व मे नारायण पुत्र रामबक्स के एकल स्वामित्व व अधिपत्य की रही है। जिससे उक्त भुमिया मिन प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद व उसके चारो भाई प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 बन्शी, गणपत, लालू उर्फ लालचन्द, मदन द्वारा 125 दिनांक 15.06. 1982 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की हुई है। जो विकय पत्र उप पंजीयक आमेर जयपुर के यहाँ दिनांक 16.06.1982 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 92 पृष्ठ संख्या 169 से 170 कम संख्या 260 पर पंजीबद्व हुआ है। इस प्रकार उक्त भूमिया मे मिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा मिन प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा खरीदशुदा होने के कारण उक्त सम्पतियों में वादी का कोई हक अधिकार कानूनन नहीं है। इसके अलावा अन्य भुमि खसरा नम्बर 20, 21, 23/593 जिसके गत खसरा नम्बर 13 व 15 है एवं भुमि खसरा नम्बर 24 जिसके गत खसरा नम्बर 14 है, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सेडू की स्वयं के स्वामित्व की सम्पतिया होने से एवं सेडू के निर्वसियती मरने पर उक्त सम्पतिया धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता एवं उसके सभी भाई व बहिनो को प्राप्त हुई है। उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भुमिया प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं की सम्पतिया हुई। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची वर्ग–1 के अनुसार पुत्र के पुत्र का उसके पिता के जीवनकाल मे मृतक की सम्पतियो पर कोई अधिकार नही होता है, क्योकि उक्त अनुसूची वर्ग–1 मे पुत्र का पुत्र वर्णित नही है अपीतु पूर्व मृत पुत्र का पुत्र ही वर्णित है अर्थात पिता के मृत होने पर ही उसके पुत्र पुत्री को अधिकार प्राप्त होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

इस प्रकार उक्त सम्पतियो मे वादी का कोई हक अधिकार नही है। इसके अलावा उक्त भुमियो मे से भुमि खसरा नम्बर 23 व 25/545 सेडू को उसके पिता से प्राप्त है। जो सेडू को उसके पिता की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है। सेडू की मृत्यु उपरान्त उक्त भुमिया मे सेडू का हिस्सा सेडू के सभी वारीसान उनकी पत्नि व 5 पुत्र व 3 पुत्रीयो को प्रत्येक को 1/9–1/9 प्राप्त हुआ है। ततपश्चात उक्त भुमिया का तकासमा हो चुका है। विधिनुसार तकासमे मे प्राप्त भूमिया उसकी स्वयं की भूमिया हो जाती है। इसलिये उक्त भूमियो से भी वादी का कोई लेना देना नही है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र और अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों पर विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी/वादी ने RRD 1993 page 206, RRD 1977 Page 233, RRD 1981 Page 212, RRT 2004(1) Page 590, CJ(Civil) H.C. Raj Page 422, CJ(Civil) Raj Page 452, CJ(Civil) 2017(3) Raj H.C. Raj Page 1437, CJ Civil Raj HC Page 1823, DNJ(Raj) 2013(4) HC. Page 1501, DNJ Raj 2008(1) Page 226, RRD June 2005 Page 349, RRT 2005(2) Page 1429, RRT 2002(2) Page 1124, RBJ 2005 Page 285 परिपत्र राजस्थान सरकार पं.5(16)राज–6/92/6 दिनांक 04.05.2000 राजस्व ग्रुप–6 विभाग पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 से 11 ने प्रतिलिपित विकय पत्र दिनांक 20.09.1976, प्रतिलिपि हकत्याग पत्र दिनांक 29.11.2002, प्रतिलिपि विकय पत्र दिनांक 11.10.2007, प्रतिलिपि बंटवारानामा दिनांक 28.04.2023 पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने 2016(1) DNJ 351 (RAJ.), 2013(4) CIVIL COURT CASES 79 (RAJ.), 1997 DNJ (SC) 6, 2022(2) RRT 1175(RAJ), 2023(1) PRT 428 (RAJ), 2017 (2) RRT 907 (RAJ) पेश किया।

पत्रावली का गहनता से परिशीलन किया गया। प्रार्थी (बाबूलाल) ने मूल वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित कृषि भूमि ग्राम राधाकिशनपुरा के विभिन्न खसरा नम्बरान (कुल रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा व अन्य आराजीयात) जो कि खाता संख्या 87, 88 व जमाबंदी संवत 2056–59 के अनुसार प्रार्थी के दादा श्री सेडू पुत्र रामबक्ष के नाम दर्ज थी। सेडू की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनके पुत्रों (अप्रार्थी सं. 1 व 12 से 15) के नाम विरासत नामान्तरकरण संख्या 69 दि. 03.01.2002 के जरिए दर्ज हुई। प्रार्थी का तर्क है कि चूंकि यह भूमि दादा 'सेडू' से प्राप्त हुई है, अतः यह 'पैतृक संपत्ति' (Ancestral Property) है और "हिन्दू विधि" के अनुसार प्रार्थी का इसमें जन्मना अधिकार (Coparcenary Right) है। प्रार्थी का आरोप है कि उसके पिता (अप्रार्थी सं. 1) ने बिना किसी विधिक आवश्यकता और प्रार्थी की सहमति के, उक्त संयुक्त पैतृक भूमि के विशिष्ट हिस्सों को खुर्द–बुर्द करना शुरू कर दिया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 6 से 11 व अन्य के पक्ष में वर्ष 2007, 2022 में विक्रय पत्र और उपहार पत्र (Gift Deeds) निष्पादित कर दिए हैं, जो कि प्रार्थी के 1/6 हिस्से तक शून्य एवं प्रभावहीन हैं। प्रार्थी को आशंका है कि अप्रार्थीगण शेष भूमि को भी बेचकर या खुर्द–बुर्द कर उसे उसके हक से वंचित कर सकते हैं। अतः वाद के अंतिम निर्णय तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

अप्रार्थीगण की ओर से ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के तर्कों का खंडन किया है। अप्रार्थीगण का कथन है कि सेडू की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों (बहनों) ने अपना हिस्सा अपने भाइयों (अप्रार्थी 1 व 12–15) के पक्ष में ''हक–त्याग'' (Release Deed 29-11-2002) कर दिया था। इसके अलावा कुछ भूमि अप्रार्थीगण ने स्वयं क्रय की है। अतः यह भूमि पूर्णतः पैतृक नहीं रही, बल्कि अप्रार्थी सं. 1 की स्व–अर्जित संपत्ति बन गई है।

तथा दिनांक 28.04.2023 को उप–तहसीलदार के समक्ष सभी खातेदारों के बीच 'मीट्स एंड बाउंड्स' (Metes and Bounds) के आधार पर विधिक बंटवारा हो चुका है। इसके अतिरिक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पिता के जीवित रहते पुत्र को बंटवारा मांगने या निषेधाज्ञा पाने का अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 7 ने प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 20.09.1976 एवं हकत्याग पत्र छायाप्रति दिनांक 29.11.2002 एवं प्रतिलिपि बंटवारानामा दिनांक 28.04.2023 पेश कर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 16 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा जगदीश पुत्र सेडू द्वारा खरीदा गया है जबकि वादी ने उक्त भूमि को भी पैतृक बताकर दावा प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त तथ्यो का गहनता से मनन किया चुकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए तीन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण आवश्यक है: (1) प्रथम दृष्टया मामला, (2) सुविधा का संतुलन और (3) अपूरणीय क्षति।

1. प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case): इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विवादित भूमि की प्रकृति 'पैतृक' है या 'स्व–अर्जित'? पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2020–2023 स्पष्ट करती है कि मूल भूमि सेडू पुत्र रामबक्ष के नाम दर्ज थी। सेडू प्रार्थी के दादा थे। हिन्दू विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, पितामह (दादा) से प्राप्त संपत्ति पौत्र के लिए पैतृक संपत्ति होती है और उसमें पौत्र का जन्म से अधिकार होता है। यद्यपि अप्रार्थीगण ने तर्क दिया है कि 'हक–त्याग' और 'क्रय' के कारण यह संपत्ति स्व–अर्जित हो गई जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस खण्डन किया है कि उक्त आराजी हमारे दादाजी ने संयुक्त परिवार में रहते हुये अपने पैसो से दिलवाई है इसलिए उक्त आराजी पैतृक है, चुकि उक्त विवाद मूलवाद में साक्ष्यो के साथ निर्णित किया जावेगा इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेहरचंद बनाम ओमप्रकाश (2005 RRD Page 349) के मामले में यह सिद्धांत प्रतिप[illegible]किया है कि यदि भूमि का मूल उद्गम पैतृक है और वह परिवार के सद[illegible]रित हो रही है, तो उसकी पैतृक प्रकृति समाप्त नहीं हो जाती। ह[illegible] 29.11.2002) के जरिए बहनों ने भाइयों के पक्ष में त्याग किया, क्या इससे संपत्ति [illegible] संयुक्त परिवार (Joint Family Nucleus) का चरित्र बदल गया, यह साक्ष्य का विषय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर Radhey Shyam Vs-Laxmi Narain & ors- (1993 RRD page 382) में स्पष्ट किया गया है कि:

"In the case of a dispute amongst members of the family even a recorded khatedar can be restrained from selling or otherwise disposing of the land so that unnecessary litigation can be avoided"

चूंकि भूमि का मूल स्रोत निर्विवाद रूप से दादा सेडू है, अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी का विवादित भूमि में एक सह–दायिदाद (Coparcener) के रूप में हित निहित प्रतीत होता है। दिनांक 28.04.2023 का कथित बंटवारा प्रार्थी की पीठ पीछे हुआ है या नहीं, और क्या उसमें प्रार्थी के हितों को सुरक्षित रखा गया, क्या खरीदी हुई आराजी संयुक्त अविभाजित परिवार में संयुक्त रूप से या दादा ने दिलवाई है यह भी परीक्षण और साक्ष्य का विषय है। इस चरण पर प्रार्थी का ''प्रथम दृष्टया मामला'' बनता है।

2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): वर्तमान में भूमि का स्वरूप और स्वामित्व विवादित है। यदि वाद के लंबित रहने के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का और अधिक बेचान, उपहार या अन्य संक्रामण (Alienation) कर दिया जाता है, तो वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी। नए क्रेता आएंगे और कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी। माननीय उच्च न्यायालय ने Manak Chand vs- Sampat Rai (2016(2) CJ(Civ-) Raj 822) में अभिनिर्धारित किया है कि:

"If the property is transferred unnecessary multiplicity of litigations would be enlarged between the parties & Property deserves to be protected" अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है कि संपत्ति को उसके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित किया जाए।

3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss): कृषि भूमि एक अचल संपत्ति है। यदि इसे खुर्द–बुर्द कर दिया गया, तो भविष्य में प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होने पर भी उसे मूल संपत्ति वापस प्राप्त करना असंभव हो सकता है, जिसकी भरपाई मात्र धन से नहीं की जा सकती।

4. अप्रार्थीगण की आपत्तियों व नजीरों का विश्लेषण: अप्रार्थीगण ने 2016 (1) DNJ 351 (Ramswaroop vs- Rajulal) और 2023 (1) RRT Page 428 (Rajendra Kumar vs- Jawanaram) का हवाला देकर तर्क दिया कि प्रार्थी ने तथ्य छिपाए हैं और स्व–अर्जित संपत्ति पर पिता के जीवनकाल में दावा नहीं किया जा सकता। न्यायालय का मत है कि पैतृक संपत्ति के मामलों में प्रार्थी का अधिकार 'उत्तराधिकार' से नहीं बल्कि "जन्म" से उत्पन्न होता है। Bodu vs- Hanuman (2002 RRT Page 1125) के मामले में राजस्व मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि भूमि जमाबंदी में पूर्वज (दादा) के नाम थी, तो पौत्र का उसमें 1/3 हिस्सा (अपने पिता की शाखा में) बनता है और उसे [illegible] का अधिकार है। जहां तक बंटवारे (2023) की बात है, चूंकि प्रार्थी [illegible] चुनौती दी है, अतः उस बंटवारे की वैधता का निर्धारण साक्ष्य के बाद ही होगा। मात्र बंटवारा हो जाने के आधार पर प्रार्थी को अंतरिम राहत से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब यह आरोप हो कि बंटवारा प्रार्थी के अधिकारों को समाप्त करने के लिए ही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी के दादा सेडू के नाम दर्ज मूल भूमि के संबंध में प्रार्थी का वाद विचारणीय है। यद्यपि अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

रिकॉर्डेड खातेदार हैं, परन्तु संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति की रक्षा हेतु उन्हें असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 6 लगायत 11 को मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील जालसू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रक़बा 0.9 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर खाता संख्या नयी 136 पुरानी 129 के खसरा नम्बर 22 रकबा 4.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 2.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/577 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/578 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/533 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर खाता संख्या नया 40 पुरानी 39 खसरा नम्बर 24 रकबा 1.86 हैक्टेयर खाता संख्या नया 41 पुरानी 40 के खसरा नम्बर 23 रकबा 2.90 हैक्टेयर, खसरा नमबर 25/545 रकबा 0.25 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 3.15 हैक्टेयर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित आराजी का बेचान नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested